न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी—श्री वीरमाराम, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 66/2022

प्रार्थी — **बनाम** — विप्रार्थीगण

प्रार्थी

1. किशनाराम पुत्र रूपाराम
2. घेवरराम पुत्र रूपाराम
3. हरजीराम पुत्र रूपाराम
4. डायाराम पुत्र रूपाराम
5. अगरती पत्नि किशनाराम जातियान घांसी निवासी पायला कलां तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर

विप्रार्थीगण

1. चिमनाराम पुत्र सालूराम
2. पूनमाराम पुत्र सालूराम
3. अमराराम पुत्र सालूराम
4. जुगताराम पुत्र आईदानराम
5. वागाराम पुत्र आईदानराम जाति सुथार निवासी पायला कलां तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर
6. तेजाराम पुत्र डूगराराम जाति जाट निवासी कागो की ढाणी तहसील सिणधरी बाड़मेर
7. मोमताराम पुत्र चिमनाराम
8. पारसमल पुत्र चिमनाराम जातियान घांसी निवासी कागो की ढाणी तहसील सिणधरी
9. पुनमाराम पुत्र चिमनाराम
10. मूलाराम पुत्र प्रतापजी जाति प्रजापत निवासी पायला कलां तहसील सिणधरी बाड़मेर
11. हरिसिंह पुत्र बांकसिंह
12. गणपतसिंह पुत्र हरीसिंह जाति राजपूत निवासी पायला कलां तहसील सिणधरी बाड़मेर
13. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956
(वास्ते—विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति—

1. श्री भंवरलाल सारण , अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. विप्रार्थी एकतरफा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.12.31 17:21:16 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

दिनांक 03.11.2022

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण का खेत मौजा पांयला कला पटवार क्षेत्र पांयला कला तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 517/17 रकबा 0.8090 हैक्टेयर खातेदारी की अवस्थित है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

क्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। बरसात होने पर विप्रार्थीगण, प्रार्थीगण के उपरोक्त खेतों के सेढ़ो को जबरदस्ती तोड़ देते है और प्रार्थीगण की कब्जाशुदा खातेदारी की भूमि पर काश्त हेतु जुताई को जेकर विवा बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा खेत मौजा पांयला कला पटवार क्षेत्र पांयला कला तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 517/17 रकबा 0.8090 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थी का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थी के खेत मौजा पांयला कला पटवार क्षेत्र पांयला कला तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 517/17 रकबा 0.8090 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा मौजा पांयला कला पटवार क्षेत्र पांयला कला तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 517/17 रकबा 0.8090 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमनें वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया मौजा पांयला कला पटवार क्षेत्र पांयला कला तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 517/17 रकबा 0.8090 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत 2076–2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है,इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि के रिकार्डड सहखातेदार है,और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसके प्रार्थीगण हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए है,इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती,तो न्यायालय में उपस्थित होकर अवश्य ही उजर एतराज पेश करते। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

5. लिहाजा,प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा पांयला कला पटवार क्षेत्र पांयला कला तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 517/17 रकबा 0.8090 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 500/प्रार्थीगण मौके पर अदा करेगे। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.12.31 17:21:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 03-11-2022 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी